मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 15445 भोपाल, दिनांक 06/10/2007

प्रति,

1. **जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
एवं कलेक्टर
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश
2. **अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश
3. **कार्यक्रम अधिकारी**
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश
जिला – श्योपुर, छतरपुर, मंडला, शहडोल, बालाघाट, शिवपुरी, बैतूल, खरगोन, सिवनी, डिण्डोरी, टीकमगढ़, खण्डवा, धार, झाबुआ, बड़वानी, सतना, सीधी, उमरिया, गुना अशोकनगर, अनूपपुर, बुरहानपुर, हरदा, छिन्दवाड़ा, देवास, दतिया, रीवा, पन्ना, दमोह, राजगढ़ एवं कटनी (म.प्र.)

विषय :– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश, के अन्तर्गत तालाबों के गहरीकरण (गाद निकालने) व जीर्णोद्धार कार्यो की आयोजना व क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

1. पृष्ठभूमि :

वर्तमान में प्रदेश के हर जिले के ग्रामो में विभिन्न कियान्वयन एजेंसियों द्वारा तालाबों का निर्माण कार्य बडे पैमाने पर किया जा रहा है। चूंकि तालाबों के जलग्रहण क्षेत्रों में मिट्टी का क्षरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है अतः इसके फलस्वरुप लगभग प्रत्येक तालाब में गाद (सिल्ट) के भराव के कारण उनकी जल भराव क्षमता कम हो रही है। अतएव विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं में तालाबों के गहरीकरण के कार्य संपादित किये जा रहे हैं। राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत भी बडी संख्या में इस प्रकार के कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

मध्यप्रदेश में 31 जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें प्रदेश के समस्त जिले भविष्य में सम्मिलित किये जायेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुसूची – 1 के बिन्दु कमांक 1 (v) में निम्नानुसार प्रावधानित है :

1 (v) परंपरागत जल स्त्रोत संरचनाओं का पुनरूद्धार (तालाबों से गाद निकालने सहित)।

2. ध्येय :

इस परिपत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना– म.प्र. में उपलब्ध धनराशि के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न ग्रामों में तालाबों से गाद निकालने तथा उनके गहरीकरण हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

3 लक्षित हिताधिकारी :

इस योजना के हिताधिकारी ग्रामीण क्षेत्र के वे समस्त निवासी होंगे जो इन तालाबों में संग्रहीत पानी का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से लाभ लेते हों।

4. कार्य क्षेत्र :

इस परिपत्र के अंतर्गत प्रदेश के सार्वजनिक सिंचाई/निस्तारी तालाब होंगे।

5. क्रियान्वयन एजेन्सी :

सिंचाई/निस्तारी तालाबों से गाद निकालने एवं जीर्णोद्धार कार्यों के लिये क्रियान्वयन एजेन्सी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश हेतु समय समय पर जारी शासन निर्देशों के अनुसार नियुक्त की जा सकेगी।

6. जीर्णोद्धार/गहरीकरण किये जाने वाले तालाबों के चयन की प्रक्रिया

सामान्यतः ग्राम पंचायतों द्वारा पॉच वर्ष से अधिक अवधि के निर्मित निस्तारी तालाबों एवं बीस वर्ष से अधिक अवधि के जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित ऐसे बडे तालाबों, जिनमें पानी का भराव विल्कुल न हो रहा हो, अथवा वे अत्यंत जीर्णशीर्ण होकर अनुपयोगी हो गए हों, जीर्णोद्धार के अंतर्गत बंड की मरम्मत उचाई बढाना, वेस्ट वीयर की लंम्बाई/उचाई में परिवर्तन/वृद्धि पूर्व निर्मित तालाब की जल संग्रहण क्षमता बढाने के उद्देश्य से डेम सेक्शन के मूल स्वरुप लम्बाई, चौडाई, उंचाई में परिवर्तन/वृद्धि एवं सिल्ट गाद आदि निकालने के कार्य लिये जा सकते हैं जिनसे तालाबों में पुनः जल भराव होकर जनोपयोगी हो सकें।

7. तालाबों के जीर्णोद्धार हेतु प्राक्कलन तैयार करने की प्रक्रिया :

7.1 प्राक्कलन का निर्माण क्रियान्वयन एजेन्सी से संबंधित विभाग के प्रचलित मानदण्डों एवं नियमों के अनुसार किया जाएगा।

7.2 पुराने तालाबों के जीर्णोद्धार हेतु प्रस्ताव को तैयार करने के लिए निम्नानुसार सर्वेक्षण करना चाहिए :

1. वर्तमान बंधान का एल. सेक्शन जिसमें भूमि का लेवल भी दर्शित हो।
2. प्रत्येक 30 मीटर और जहां सेक्शन में अचानक बदलाव आया हो उन स्थानों पर बंधान का क्रास–सेक्शन लेना।
3. वर्तमान जल भराव क्षेत्र में कुछ स्थानों पर लेवल लें। यदि इस क्षेत्र में पानी भरा हो तो बेसिन के भीतर लेवल सुनिश्चित करने के लिए साउण्डिंग ले। इन लिये गये लेवलों की सहायता से जल भराव क्षेत्र का 'कन्टूर' नक्शा तैयार करें।
4. ऐसे तालाब जिनकी साइज निर्माण किये जाने वाले नये तालाबों से बड़ी हो, सुधार कार्यों हेतु लिये जा सकते हैं।
5. नई तालाब योजनाओं के समान ही जल ग्रहण क्षेत्र का भी सर्वेक्षण करें।
6. बंधान के सुधार हेतु जिस क्षेत्र से मिट्टी ली जानी है उन क्षेत्रों को 'बॉरो' क्षेत्र के रूप में चिन्हाकिंत कर ट्रॉयल पिट लें।

7. कमान क्षेत्र में कतिपय स्थानों पर लेवल लिया जाना चाहिए जिससे सिंचाई नहर का अलाईनमेन्ट तथा सैंच्य क्षेत्र सुनिश्चित किया जा सके।

8. बरसात के दौरान तालाब में पूर्व वर्षों का जल भराव संबंधी जानकारी के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। यह अधिक भण्डारण के नियोजन हेतु एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शी पहलू होगा।

9. राजस्व प्राधिकारियों से बांध से होने वाले वर्तमान सिंचाई संबंधी अधिकार सुनिश्चित कर लेना चाहिए।

10. ग्रामों के तालाब संबंधी वर्तमान अधिकार भी सुनिश्चित कर रिकार्ड करने चाहिए।

11. नये तालाबों हेतु दर्शित विवरणों को पुराने तालाबों के सुधार हेतु भी एकत्रित करना चाहिए।

7.3 प्राक्कलन सामान्यतः ग्रामीण यांत्रीकी सेवा के सी.एस.आर. के अनुसार इकाई लागत पर आधारित होगा। किन्तु कोई आइटम ग्रामीण यांत्रीकी सेवा के सी.एस..आर में प्रावधानित न होने की स्थिति में ऐसे आइटम जल संसाधन विभाग के सी.एस.आर. पर आधारित होंगे। स्थानीय स्तर पर निर्माण स्थल की विशिष्टताओं व तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही चयनित कार्य की इकाई लागत का निर्धारण किया जाए।

8 जीर्णोद्धार/गहरीकरण कार्य कराने का समय :

ऐसे तालाब जिनका गहरीकरण/जीर्णोद्धार कराना हो उसका कार्य मार्च/अप्रैल से जून माह के बीच ही कराया जाये। यदि तालाब में पानी खाली कराने की आवश्यकता हो तो इसकी अग्रिम योजना बनाकर पानी का उपयोग समीपी खेतों में रबी सिंचाई के लिये कराया जा सकता है। गहरीकरण के कारण अन्य वैकल्पिक जल स्त्रोत सुनिश्चित किये जायें ताकि समीपी लागों की निस्तारी जरूरतों में बाधा न पड़े। कार्य प्रारंभ करने के पूर्व, स्थल की फोटोग्राफी/विडियों ग्राफी अनिवार्य रूप से करायी जावे।

9 तकनीकी पहलू :

9.1 **चयन संबंधी :** जल संरचना की मूल डिजाइन में दर्शित लंबाई/चौड़ाई/गहराई, पिचिंग, वेस्टवीयर, सिस्टर्न आदि के आकार एवं वर्तमान आकार में क्या परिवर्तन आया है, इसका स्थल सर्वेक्षण कर, संरचना के मूल स्वरूप अथवा संशोधित स्वरूप में लाने के लिये, क्या–क्या कार्य आवश्यक हैं तथा प्रस्तावित जीर्णोद्धार कार्य से क्या लाभ होना संभवित होगा, इन बिन्दुओं पर समग्र विचारोपरान्त ही जल संरचनाओं का चयन किया जावे।

9.2 जल भराव क्षमता वर्धन हेतु :

9.2.1 **उंचाई बढ़ाना :** इस हेतु अन्य प्रकरणों में सिंचित क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में तालाब की भण्डारण क्षमता देखी जानी चाहिए। ईष्टतम लागत में जल भण्डारण क्षमतावर्धन, बेहतर 'स्पिल वे' व्यवस्था एवं बांध की ऊँचाई बढ़ाने की संभावना हेतु तालाब का जल ग्रहण क्षेत्र व औसत वर्षा का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। वर्तमान आउटलेट व्यवस्था की जानकारी भी महत्वपूर्ण है। यदि ग्रामवासी बंधान काटकर सिंचाई हेतु पानी लेते हैं तो यह व्यवस्था एक स्थायी आउटलेट बनाकर तुरन्त रोकनी चाहिए। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बंधान की रूपाकिंत ऊँचाई तक जीर्णोद्धार का कार्य वर्तमान सेक्शन को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए।

यदि बांध स्थल की परिस्थिति अनुसार जलग्रहण क्षेत्र की दृष्टि एवं तालाब के भराव क्षेत्र को देखते हुये तालाब की जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि संभव दिखती है तो इसके लिये बांध की ऊँचाई बढ़ाना आवश्यक होगा। लेकिन बांध की ऊँचाई बढ़ाने के निर्णय लेने के पूर्व, निम्न तकनीकी पहलुओं का परीक्षण आवश्यक होगा :–

1. बांध कितना पुराना है।
2. बांध के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल किया गया है।
3. बांध का निर्माण, किस प्रकार की निर्माण विधि द्वारा किया गया है।
4. बांध की नींव की स्थिति क्या है।

यदि उपरोक्त परिस्थियाँ, सामान्य मानदण्डों की प्रतिपूर्ति नहीं करती है, तो फिर बांध की ऊँचाई बढ़ाना निरर्थक होगा क्योंकि जहां एक और, इसकी निर्माण लागत, अधिक होगी वहीं दूसरी ओर, बांध के स्थायत्व की दृष्टि से जोखिम भी अधिक होगा। ऐसी स्थिति में, अन्य विकल्पों को तलाशना होगा।

9.2.2 तालाब का गहरीकरण (गाद निकालना) :

तालाब के गहरीकरण/जीर्णोद्धार की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण तकनीकी पहलुओं का ध्यान रखा जाना आवश्यक है जिससे कार्य के वांछित लाभ मिले। यहाँ पर यह उल्लेखित किया जाना उचित होगा की तकनीकी पहलुओं संबंधी सावधानिया न बरतने पर तालाब के लक्षित उद्देश्यों पर विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। इस कार्य में निम्नानुसार सावधानियां विशेष रूप से रखी जानी चाहियेः

1. गहरीकरण के कार्य की दूरी बंध के अपस्ट्रीम टो से तालाब में एकत्रित जल गहराई की दस गुना से कम नहीं होनी चाहिये। यह सीमा अपस्ट्रीम व डाउनस्ट्रीम दोनों कार्यों के लिये लागू होगी।
2. गहरीकरण के दौरान खुदाई की गहराई इतनी न हो कि वह जल भराव क्षेत्र के नीचे की अपारगम्य परत को भेद दे।
3. खुदाई की गहराई का लेवल किसी भी परिस्थिति में बांध की नींव के तल के लेवल के नीचे न हो।
4. जल भराव क्षेत्र में एकत्रित गाद की गणना हेतु प्रत्येक 100 मीटर की दूरी पर क्रास–सेक्शन लेवल लिये जावें एवं ग्राफ शीट पर एल सेक्शन अंकित कर मूल ग्राउन्ड लेवल से तुलना की जावे। कम से कम 50 प्रतिशत लेवल का सत्यापन, सहायक यंत्री, ग्रा.यां. सेवा द्वारा किया जावे तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र, एल सेक्शन पर हस्ताक्षरित किया जावे। तालाब गहरीकरण का कार्य, सक्षम प्रधिकारी द्वारा तकनीकि स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात् ही प्रारंभ किया जा सकेगा ।

उक्त सावधानियों में दर्शाये गये तकनीकी पहलुओं को निम्न चित्र से समझा जा सकता है।

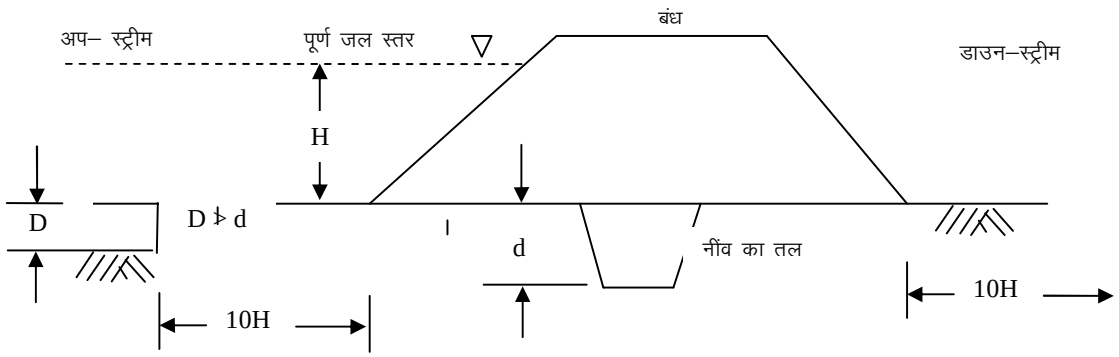

9.2.3 सुरक्षित जल निकास हेतु : छोटे तालाबों में बहुत विस्तृत अतिरिक्त जल निकास प्रणाली (सरप्लसिंग अरेन्जमेन्ट) की आवश्यकता नहीं है। पुराने तालाबों में सुधार हेतु, वर्तमान प्रणाली का गहन अध्ययन आवश्यक है जिससे तालाब की सुरक्षा को बिगाड़ने वाले कारकों का पता लगाकर सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाए जा सकें। यदि वेस्ट वियर या बॉयवाश की वर्तमान लम्बाई अपर्याप्त है तो तालाब इतने वर्षों तक कैसे बना रहा, इस हेतु यह अध्ययन किया जाना चाहिए। हो सकता है कि इसके सिरों पर स्थित ऊँची भूमि, उच्च स्तरीय 'बॉयवाश' या तटबंध के रूप में कार्य कर रहे हैं जो पूर्ण जल स्तर से ऊपर सुरक्षित तरीके से फूटने की व्यवस्था की तरह कर कार्य कर रहे हैं या जिनके ऊपर से तेज भराब की स्थिति में पानी निकल कर बहुत कम हानि पहुंचाता हो। जब तक वर्तमान व्यवस्था बहुत असुरक्षित न पायी जाये या पूर्व में हुई हानियों के अनुभव के आधार पर पुनर्नियोजन आवश्यक न हो तब तक वर्तमान व्यवस्था को यथावत रखे जाने का प्रयास करना चाहिए। यदि अतिरिक्त जल निकास व्यवस्था का पुनरूद्धार किया जाना है तो कई सालों में एक बार होने वाले संभावित खतरे को लागत में होने वाली वृद्धि से तौला जाकर उचित निर्णय लेना चाहिए।

9.3 **क्रियान्वयन संबंधी :** मिट्टी के तालाब निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन बोधी (Bureau of Design & Hydel Investigation) द्वारा जारी परिपत्रों तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अनुरुप किया जावे।

9.3.1 मिट्टी के बांध के क्रॉस–सेक्शन को स्थायित्व देना

मिट्टी के बांध को, सामान्य मानदण्डों के अनुरूप, रूपांकित सेक्शन में पुनरूद्धार करने की आवश्यकता होती है। साथ ही बांध के अप–स्ट्रीम ढ़ाल (स्लोप) को पानी की लहरों के विरूद्ध सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है जबकि बांध के डाउन–स्ट्रीम ढ़ाल को, वर्षा के पानी के बहाव के विरूद्ध कटाव से सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यदि बांध के नीचे धसकने की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है तो अतिरिक्त मिट्टी का कार्य करने की आवश्यकता होगी। इस मिट्टी का प्रकार मुरूम श्रेणी का उपयुक्त होगा एवं निम्नानुसार पुराने मिट्टी के बांध पर नई मिट्टी की परत ड़ालनी होगी।

9.3.2 बांध का आकार रूपांकित क्रास–सेक्शन में लाना

पुराने मिट्टी के कार्य एवं नये मिट्टी के कार्य के बीच उपयुक्त जोड़ की संरचना सुनिश्चित की जाना आवश्यक है। इसके लिए क्रास–सेक्शन में पुरानी मिट्टी की सतह पर समस्त भुरभुरी मिट्टी, हटाना चाहिये तथा मिट्टी पर स्थित झाड़ियाँ, घांस आदि भी साफ किया जाना आवश्यक है। साथ ही

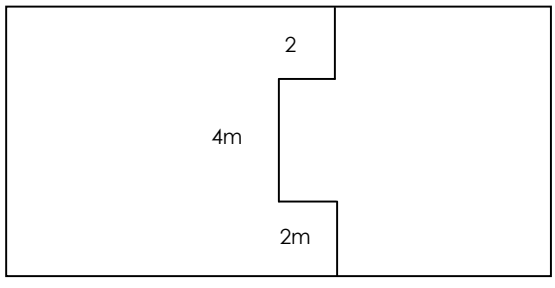

PLAN

पुरानी मिट्टी के सेक्शन पर 'स्टेप' के रूप में काटना आवश्यक है ताकि नई मिट्टी की सतह के लिये उपयुक्त सीट मिल सके । इसके अलावा नीचे दर्शाये चित्रानुसार बीच में एक ट्रेंचनुमा नाली भी खोदी जानी चाहिये जिसमें नई मिट्टी, अपनी मजबूत पकड़ बना सके।

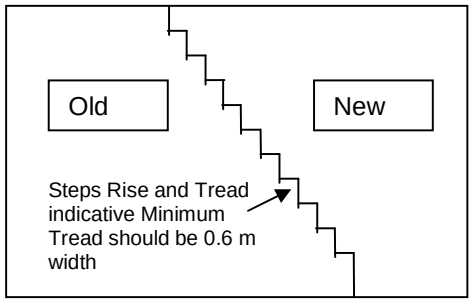

एक सेक्शन में (बांध की लंबाई में) पुरानी मिट्टी की सतह पर बेतरतीब आकार में 'बेंचिंग' करना आवश्यक है जिससे पुराने एवं नये मिट्टी के जोड़ों की मजबूती सुनिश्चित की जा सके। इससे नयी मिट्टी के कार्य को फिसलने से भी रोका जा सकता है।

बांध की ऊँचाई बढ़ाना : जहां पर बांध की ऊँचाई बड़ाना है, वहां पुराने मिट्टी के कार्य पर उपरी सतह पर 1.2 मीटर चौड़ी एवं 1.0 मीटर गहरी ट्रेंचनुमा नाली खोदी जाना आवश्यक है जो कि बांध की सेंट्रल लाइन के समानान्तर चलेगी इस ट्रेंच को उपयुक्त मिट्टी के साथ, सावधानीपूर्वक भरा जावे तथा निर्धारित मानदण्ड़ों के अनुसार इस मिट्टी में पानी का छिड़काव कर, कुटाई की जावे।

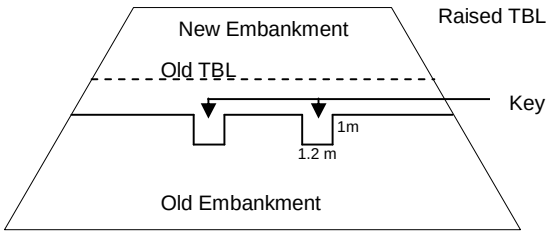

9.3.3 बांध में परिलक्षित दरारों को भरना :–

यदि बांध में दरार परिलक्षित हुई है तो मिट्टी भरने के पूर्व निम्नानुसार ***सतह*** तैयार किया जाना आवश्यक है :–

1. लगभग 1.5 सेमी. व्यास की पाइप लाइन के माध्यम से दरार में प्रेशर के साथ पानी डाला जावे जिससे एक और जहां दरार में सफाई होगी, वहीं दूसरी और दरार के भीरतरी तह गीली रहेगी।
2. दरार में भरने वाली मिट्टी में एक भाग रेत एवं 3 भाग मिट्टी के अनुपात में मिश्रण तैयार किया जावे एवं इतनी मात्रा में पानी मिलाया जावे जिससे मिश्रण में लोच एवं बांधित वहाव शीतलता हो । इस मिश्रण को फिर दरार में पंप करके डाला जावे। इस प्रक्रिया के बाद दरार को कुछ दिनों के लिये इसी स्थिति में छोड़ दिया जावे जिससे कि उक्त तह सूख जावे फिर पुनः अगली तह के लिये, यही प्रक्रिया दुहराई जावे। फिर

अंतिम रूप से दरार के अग्रभाग को ट्रेंच के रूप में रख कर बांध की उपयुक्त मिट्टी से 0.3 से 0.6 मीटर गहराई तक भर कर सील किया जावे।

9.3.4 जल भराव सतह को लीक प्रूफ बनाया जाना

कई तालाबों में जल संग्रहण होने के बाद, पानी लीक हो जाता है। इसे रोकने के लिये जल संसाधन विभाग के 'बोधी' संसाधन द्वारा निर्देशित तकरीकी परिपत्र क्र.–27 के अनुसार बांध के भराव क्षेत्र में, बांध के अप–स्ट्रीम टो से ''क्ले–ब्लेंकैट'' का निर्माण कर रिसन बंद की जा सकती है।

10. तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की प्रक्रिया

10.1 तकनीकी स्वीकृति :

7.3 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए तैयार किये गये प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की जावे।

10.2 प्रशासकीय स्वीकृति की प्रक्रिया :

सभी क्रियान्वयन एजेन्सियों को राष्टीय ग्रामीण गारंटी योजना के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

अ. कार्यों का शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में शामिल किया जाना

प्रस्तवित कार्यों का संबंधित उपयंत्री द्वारा तैयार किया गया परियोजना प्रतिवेदन ग्राम पंचायत को प्रेषित किया जावेगा। ग्राम पंचायत अपनी बैठक आयोजित कर उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित करेगी। तत्पश्चात प्रस्तावित कार्यों का ग्राम पंचायतवार अनुमोदन जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत से कराया जावेगा। जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत का अनुमोदन अनिवार्य होगा। त्रिस्तरीय पंचायत से अनुमोदन के उपरांत तालाब गहरीकरण एवं जीर्णोद्धार कार्यों को संबंधित ग्राम पंचायत के शेल्फ आफ प्रोजेक्ट में शामिल किया जायेगा।

ब. प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किया जाना :

पंचायती राज संस्था द्वारा क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा शामिल कार्यों की एकजाई प्रशासकीय स्वीकृति राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना– मध्यप्रदेश के तहत समय समय पर जारी निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप जारी की जायेगी।

11. स्वीकृत कार्यों के संपादन हेतु राशि उपलब्ध कराना :

ग्राम पंचायत संबंधित प्रस्ताव की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी को आवश्यक राशि उपलब्ध्ा करायेगी।

12. निर्माण कार्य का प्रारंभ किया जाना :

12.1 चयनित कार्यों के क्रियान्वयन का प्राथमिकता क्रम संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित करेगी। तथा तत्संबंध में हितग्राहियों के नाम व इनके कार्य का नाम अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगी।

12.2 कंडिका 10.1 में प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं कंडिका 10.2 मे प्रदत्त प्रशासकीय स्वीकृति के अनुसार कार्यों का ले आउट संबंधित उपयंत्री द्वारा दिया जावे।

12.3 उपरोक्तानुसार अनुमोदित व प्रशासकीय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कार्यों का क्रियान्वयन संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा कार्य हेतु चयनित निर्माण स्थल पर किया जायेगा। चूंकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश एक श्रमोन्मुखी योजना है अतः कार्यो के क्रियान्वयन में मशीन का प्रयोग कदापि न किया जावे।

12.4 कार्यो की प्रगति के अनुपात में संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा बैंक से भुगतान हेतु राशि निकालकर भुगतान किया जावेगा।

13. क्रियान्वयन व गुणवत्ता :–

13.1 क्रियान्वयन एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि कार्य का क्रियान्वयन निर्धारित डिजाईन तथा मानदण्डों के अनुरूप पूर्ण किया जाये और तकनीकी रूप से गुणवत्तापूर्ण हो। कार्य की गुणवत्ता के संदर्भ में किसी भी स्थिति में कोई समझौता न किया जाये। अधूरे कार्य को किसी भी स्थिति में पूर्ण मानकर समाप्त न किया जाये।

13.2 कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने, निगरानी, मूल्यांकन, कार्य की माप, मजदूरी का भुगतान, रिकार्ड एवं लेखा संधारण तथा अन्य अभिलेखों के संधारण के संबंध में मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत समय समय पर जारी निर्देशों के प्रावधान यथावत लागू होंगे। हितग्राही कृषक भी उसके लिए क्रियान्वित किये जा रहे कार्य की निगरानी कर सकेगा।

13.3 कार्य के पूर्ण होने पर हितग्राही समूह से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा, जिस पर सरपंच तथा संबंधित उपयंत्री कार्य की पूर्णता प्रमाणित कर हस्ताक्षर करेंगे। तदोपरांत यह पूर्णता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अपने रिकार्ड में संधारित करेगी। कार्य के निर्माण स्थल पर भूमि स्वामी हितग्राही/उपयोगकर्ता दल के सदस्यों के नाम, कार्य की लागत व आकार अंकित करते हुए एक बोर्ड भी लगाया

जायेगा जिस पर कार्य का नाम, कार्य पर व्यय राशि तथा कार्य की पूर्णता दिनांक पेंट से अंकित करेगी।

13.4 संपादित कार्य का विवरण पटवारी द्वारा राजस्व रिकार्ड में भी अनिवार्यतः दर्ज किया जाये।

13.5 विभाग के आदेश क्र.3665/22/वि–7/ग्रा.यां.से./06 दिनांक 22.6.2006 में ग्रामीण विकास विभाग के तहत किये जाने वाले निर्माण कार्यों का Exit Protocol तैयार किये जाने बाबत् दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुरूप इस परिपत्र के अंतर्गत संपादित किये जाने वाले कार्यों का Exit Protocol अनिवार्यतः संधारित किया जाये।

14. निर्मित संरचनाओं के रख रखाव का दायित्व तथा इनसे पानी का वितरण

निर्मित संरचनाओं के रख रखाव का दायित्व संबंधित संथा अथवा उपयोगकर्ता दल के सदस्यों का होगा। अतः इस संबंध में क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा संथाओं अथवा उपयोगकर्ता दलों को स्पष्ट समझाईश कार्य प्रारंभ होने के पूर्व ही दे दी जानी चाहिये।

15. मॉनिटरिंग व रिपोर्टिंग :–

15.1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अपने क्षेत्राधीन ग्राम पंचायतों में राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – म प्र के अन्तर्गत तालाबों के गहरीकरण व जीर्णोद्धार कार्यों की गुणवत्ता व समयबद्ध क्रियान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे।

15.2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा भी राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – म प्र के अन्तर्गत तालाबों के गहरीकरण व जीर्णोद्धार से संबंधित कम से कम 20% कार्यों के गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग की जायेगी।

15.3 क्वालिटी मॉनिटर द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – म प्र के अन्तर्गत तालाबों के गहरीकरण व जीर्णोद्धार के शत प्रतिशत कार्यों की मॉनिटरिंग की जायेगी।

कृपया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – म प्र के अन्तर्गत तालाब गहरीकरण एवं जीर्णोद्धार कार्यों के क्रियान्वयन हेतु समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
एवं विकास आयुक्त
मध्य प्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग